

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**पर्यावरण परिसर, ई-५, अटेय कॉलोनी, भोपाल**

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

बोर्ड के आदेश क्रमांक 2321/स्था./प्रनिबो/2014 भोपाल दिनांक 14/10/2014 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति के 544 प्रकार के लघु श्रेणी उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निहित प्रावधानों के तहत सहमति प्राप्त करने बावत् निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। इस प्रकार के उद्योगों के द्वारा स्वयं प्रमाणित दस्तावेज (Self Certification of Documents) मान्य किये जावेंगे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संज्ञान में लेते हुये 03 दिनों में अभिस्वीकृति प्रदान की जावेगी।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ० क्रमांक 861 /स्था/प्रनिबो/2015  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 20 APR 2015

- 1 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक 09/04/2015 को मुख्यमंत्री कार्यालय में Ease of Doing Business के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3 समस्त शाखा प्रभारी, ..... म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल खिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, .....की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ ।
- 5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल ।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

9